न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– महेन्द्र लोढा

तारीख रजू 03.7.18

अपील संख्या 72 / 2018

छोटया पुत्र मोती जाती गुर्जर निवासी सेवती कलॉ तह.खण्डार।

—अपीलान्ट

बनाम

—रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ

आदेश दिनांकः– 30.07.2018

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 524 / 10 में पारित निर्णय 05.10.10 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवती कलॉ के खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित एवं फसल जप्त सरकार करने के साथ–साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए सम्मन की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कानून रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली का सही अवलोकन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में कोई सम्मन जारी नहीं किया है तथा सम्मन की तामील भी अपीलान्ट को नहीं हुयी है, नहीं जबाजदेही का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को बिना सूचना के एक तरफा आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है नहीं अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है,मात्र पटवारी हल्का ने गलत रूप से रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को 30 दिवस

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया है जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व विवादित खसरा के आस पास के व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये है एवं मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05.10.10 को उपस्थित नहीं हुआ ओर नहीं अतिक्रमण नहीं होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये गये। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अनियमिता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने एवं अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्व अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी अतिक्रमी को सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की पालना मे अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः अपीलार्थी का यह कथन है कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया, मान्य नहीं है। जहॉ तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान एवं पूर्व में पारित निर्णय 12.02.09 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसे पूर्ववर्ती अतिचार सिद्व होता है। अतः मै अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई फेरबदल करना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.10 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.7.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर